



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4980] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940
No. 4980] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6210(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'रक्षा प्रतिष्ठान' उद्योगों में लगी ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 8 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी, जिसे इस मंत्रालय की अधिसूचना सख्यांक का.आ. 2954(अ), तारीख 19 जून, 2018 द्वारा 22 जून, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त अवधि का छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग को 22 दिसम्बर, 2018 से छह मास की और अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2018

S.O. 6210(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that public interest so requires that in pursuance of provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services engaged in industry 'Defence establishments' which is covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from 22nd June, 2018 *vide* this Ministry's Notification number S.O. 2954(E) dated the 19th June, 2018.

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the aforesaid Act, for a period of six months with effect from the 22nd December, 2018.

[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.